226

राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, ईजीएस

क्रमांकः 4(5) Helpline/08-09 जयपुर,दिनांक 31 MAR 2009

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राजस्थान (समस्त)

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पूर्व पत्रों का अवलोकन करे, जिसके द्वारा नरेगा से संबंधित शिकायते प्राप्त करने हेतु हेल्प लाईन प्रारम्भ करने के बारे में लिखा गया था।

इस संबंध में विचार–विमर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया, कि **आपदा प्रबन्धन** हेतु पूर्व में प्रचलित **हेल्प लाईन के दूरभाष नम्बर 1077** को ही नरेगा से संबंधित शिकायत प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाये। यह नम्बर टॉल फ्री है। इससे नरेगा से संबंधित अभाव अभियोग एवं शिकायतों के लिए उपयोग करने पर इसका भुगतान नरेगा से किया जाए।

कृपया इस नम्बर को सभी स्थानों पर समुचित रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करे, ताकि जहां भी जिस व्यक्ति को शिकायत हो वह **हेल्प लाईन** नं. **1077** पर शिकायत दर्ज करा सके। इस हेल्प लाईन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि इस पर कॉल को सुनने वाले व्यक्ति को नरेगा से संबंधित पूर्ण जानकारी हो, जिससे शिकायतकर्ता/कॉल करने वाले को संतोषप्रद उत्तर दे सके। इसके लिए एक नियन्त्रण कक्ष मय कम्प्यूटर के स्थापित किया जाए। हेल्प लाईन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को कम्प्यूटर पर दर्ज कर नियमित रूप से इनकी मोनेटरिंग आपके स्तर पर की जावें। अधिक कॉल होने की स्थिति में एक ओर नम्बर लिया जा सके। जिस पर भी **1077** वाली कॉल प्राप्त की जा सकेगी।

भवदीय,

Sd/-

(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास
एवं
आयुक्त, नरेगा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, ग्रा. वि. एवं पं. राज.।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज.।
3. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक,(आर.ई.)